



संख्या 1964 / नि0प्रा0-4 / 2016-17 / वा0नि0-1-मेरठ

दिनांक 12/7/16

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

 श्रीमती अल्का कंसल, श्री काविन्द कुमार, श्री अभिषेक
 गली नं0-2 पंचशील कालोनी, मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-317, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-317, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21-6-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी, दिनांक 12/7/16 से 11/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-06, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+3 तल+ममटी एवं मशीन रूम हेतु 1684.95 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 614.21 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का नियमतः प्राविधान भी किया जाना होगा।

कमशः—2



संख्या 1786 / नि0प्रा0-7 / 2015-16 / वा0नि0-1-मेरठ

दिनांक 24/6/16

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री संदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री जय प्रकाश
 निवासी-117, कुटी एफ-131 के सामने, शास्त्री नगर
 मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-471/1, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-471/1, मंगल पाण्डेय नगर, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20-6-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 24/6/16 से 23/6/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-06, उ0प्रा0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, से समयवृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट+भूतल+3 तलों हेतु 1652.68 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 615.31 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। साथ ही पूर्व स्वीकृत मानचित्र क्रमांक 70/नि0प्रा0-421/2010-11/वा0नि0-1 दिनांक 10-02-12 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।

कमशः--2

16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रख-रखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।



(श्याम जतन यादव)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी


दिनांक: 24/6/16.

पृ0सं0:- 1786 /उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।





वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी



संख्या 1965/नि0प्रा0-5/2016-17/वा0नि0-1-मेरठ

दिनांक 12/7/16

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

 श्री अतर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
 बी-101, शास्त्री नगर, मेरठ।

विषय :- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-447, मंगल पाण्डेय नगर, योजना सं0-1, मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-447 मंगल पाण्डेय नगर, योजना सं0-1, मेरठ में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22-6-2016 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी, दिनांक 12/7/16 से 11/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-06, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, मेरठ को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक, मेरठ से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल+3 तलों हेतु 630.63 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 202.19 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गयी है।
7. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
8. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
9. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असमान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
10. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक-3.2.2001 एवं सं0 3751/ 9-आ0-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
12. नियमानुसार पार्किंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का नियमन प्राविधान भी किया जाना होगा।

कमशः—2

15. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
16. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक: आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट(एक नग शीट)।
स्ट्रक्चरल डिजाइन व गणना का एक सेट।


14/7/16

(श्याम जतन यादव)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक: 12/7/16

पृ0सं0:-

1965

/उक्त /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ, को स्वीकृत मानचित्र की प्रति सहित।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्री नगर मेरठ।
4. उप श्रमायुक्त, उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ।


14/7/16

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी